

राजस्थान सरकार
प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर

डब्ल्यू-6 रेजीडेन्सी रोड, जोधपुर, फोन नं. 0291-2430440, 2636572 ई मेल bter.jodhpur@gmail.com

क्रमांक :- एफ 5 (101) प्राशिमं/सामान्य/2016-17/ 2524

दिनांक

1 APR 2016

प्रधानाचार्य,
समस्त संबद्धता प्राप्त संस्थान।
द्वारा ई मेल।

विषय:- सत्र 2016-17 के लिये मण्डल से संबद्धता/संबद्धता नवीनीकरण के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सत्र 2016-17 के लिये मण्डल से संबद्धता/संबद्धता नवीनीकरण हेतु संबद्धता/संबद्धता नवीनीकरण आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज आवश्यक रूप से संलग्न कर मण्डल में व्यक्तिगत उपस्थित होकर प्रस्तुत करें।

1. पूर्ण एवं स्पष्ट भरा हुआ संबद्धता/संबद्धता नवीनीकरण आवेदन प्रपत्र (परिशिष्ट-1)
- 2... निर्धारित संबद्धता शुल्क का डिमाण्ड ड्राफ्ट/चालान।
(डी डी कार्यालयाध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर के नाम का होना चाहिये व ड्राफ्ट के पीछे संस्थान कोड एवं संस्थान का नाम अंकित करावे)।
संबद्धता शुल्क रुपये 5000/- प्रति पाठ्यक्रम प्रतिवर्ष है। यह शुल्क निम्न के लिए भी जमा करवाना होगा :-
 - (1) ऐसे बंद कर दिये गये पाठ्यक्रम जिनमें एक भी छात्र नियमित अथवा बाह्य परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा दे रहा है।
 - (2) ऐसे पाठ्यक्रम जिनको AICTE की Approval Process handbook के प्रावधानों के अनुसार बंद नहीं किया गया है।
3. सत्र 2016-17 के लिये अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त अनुमति पत्र (LOA)/अनुमोदन विस्तार पत्र (EOA) की प्रति।
4. संबद्धता/संबद्धता नवीनीकरण आवेदन पत्र (परिशिष्ट-1) के साथ पूर्ण एवं स्पष्ट भरे हुए परिशिष्ट-2, परिशिष्ट-3, परिशिष्ट-4 आवश्यक रूप से संलग्न करें।
5. अन्य :- जिन संस्थानों के कोर्ट केस चल रहे हैं वो वर्तमान स्थिति बतलाते हुए संबंधित दस्तावेज संलग्न करें।


आवेदन पत्र मय दस्तावेज निम्न तिथियों के अनुसार प्राप्त किये जायेंगे :-

1. 22.04.16 :- जोधपुर व बीकानेर संभाग की समस्त संस्थायें।
2. 25.04.16 :- अजमेर व कोटा संभाग की समस्त संस्थायें।
3. 26.04.16 :- भरतपुर व उदयपुर संभाग की समस्त संस्थायें।
4. 27.04.16 :- जयपुर संभाग की समस्त संस्थायें (जयपुर जिले को छोड़कर)।
5. 28.04.16 :- जयपुर संभाग के जयपुर जिले की समस्त संस्थायें।

(2)

- नोट : 1. संबद्धता/संबद्धता नवीनीकरण आवेदन प्रपत्र (परिशिष्ट-1) व परिशिष्ट 2 से 4 मण्डल की वेब साईट www.techedu.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।)
2. अग्रेषित पत्र के ऊपर दाहिने कोने पर संस्थान कोड आवश्यक रूप से अंकित करें।

भवदीय



संयुक्त निदेशक एवं सचिव

क्रमांक :- एफ 5 (101) प्राशिमं/सामान्य/2016-17/

दिनांक

प्रतिलिपि :- निम्न को वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. संयुक्त निदेशक (ई-2), प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर।
2. नोडल अधिकारी (IT), को मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करवाने हेतु।
3. श्री पुखराज पालीवाल, प्राशिमं. जोधपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे संबंधित को ई मेल द्वारा प्रेषित करें।

संयुक्त निदेशक एवं सचिव

FORMAT- 1

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

BOARD OF TECHNICAL EDUCATION, RAJASTHAN, JODHPUR**Application Form for Affiliation /Renewal of Affiliation**

- 1. Institute Particulars: -**
 - 1.1 Name of the Institute _____
 - 1.2 Postal address _____
 - 1.3 E mail address: _____
 - 1.4 Fax & Phone Nos (With STD code) _____
 - 1.5 Ownership _____
- 2. Particulars of Head of the Institute :-**
 - 2.1 Name _____
 - 2.2 Home Address _____
 - 2.3 Phone No (With STD code) _____
- 3 Particulars of Registered Committee/Trust in case of private Institute: -**
 - 3.1 Postal address _____
 - 3.2 E mail address _____
 - 3.3 Phone No. & Fax No. (with STD code) _____
- 4. Whether the institute and the course(s) to be commenced are approved by the Government of Rajasthan ?**
 If yes, the attach attested photo copy of approval letter. Government of approval letter.
 no. _____ dated _____.
- *5 Whether the institute and the course(s) conducted are approved by AICTE ?**
 If yes, the attach attested photo copy of approval letter. AICTE approval letter.
 no. _____ dated _____.
- 6. Particulars of affiliation fee/ renewal fee.**
 Demand Draft No. _____ Dated _____ Amount _____
 Drawn on _____
 (Name of bank)

(Seal)**Name & Signature of the Head
of the institute**

*If the institute has been inspected by the AICTE for the purpose of according approval and the same is expected before the students are admitted the institute may apply in advance before 31st March for affiliation with the Board but the affiliation application will be considered only after the attested copy of AICTE approval letter is received in the Board.

FORMAT-2
AFFILIATION/RENEWAL OF AFFILIATION

S.N.	DETAILS	INFORMATION								
1	NAME OF COLLEGE									
2	ADDRESS OF COLLEGE AS GIVEN IN AICTE LOA/EOA									
3	ADDRESS AT WHICH COLLEGE IS RUNNING									
4	AICTE LOA/EOA NO. & DATE									
5	STATUS OF THE BUILDING (OWN/RENTED)									
6	PHONE NO.OF COLLEGE									
7	E-MAIL ADDRESS									
8	NAME , ADDRESS & PHONE NO. OF SOCIETY/TRUST									
9	NAME & MOBILE NO.OF CHAIRMAN/TRUSTEE	NAME				MOBILE NO.				
10	INTAKE CAPACITY AS APPROVED BY AICTE IN THE RUNNING BRANCHES	INTAKE CAPACITY AS APPROVED BY AICTE IN THE RUNNING BRANCHES								
		S.N.	BRANCH	2010--11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
		1								
		2								
		3								
		4								
		5								
		6								
7										
11	BRANCHES CLOSED WITH APPROVAL OF AICTE	S.N.	BRANCH	YEAR OF STARTING	YEAR OF CLOSING	GOVT. NOC NO. FOR CLOSURE				
		1								
		2								
		3								
12	DETAILS OF AFFILIATION FEES	DD NO.			DATE		AMOUNT			
13	NAME & MOBILE NO. OF PRINCIPAL	NAME				MOBILE NO.				

SIGNATURE AND SEAL OF PRINCIPAL

SESSION-2016-17

INSTITUTE CODE ()

FORMAT-3

STATISTICS OF STUDENTS IN 2015-16
(BRANCHES RUNNING AS WELL AS CLOSED)

S.NO.	BRANCH	MENTION RUNNING OR CLOSED	NO.OF STUDENTS IN I YEAR		NO.OF STUDENTS IN II YEAR		NO.OF STUDENTS IN III YEAR		
			REG.	EX.	REG.	EX.	REG.	EX.	
1	CE								
2	CS								
3	EE								
4	EL								
5	ME								
6									
7									
8									
9									
10	TOTAL NO. OF STUDENTS								

SIGNATURE AND SEAL OF PRINCIPAL

NOTE: Govt. Colleges please write SFS against the branches running under self finance scheme.